आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
आर0ई वाद सं0– 13/2010–11
आवेदक– धरमु मालतो वगै0
बनाम
विपक्षीगणः– जुबेल मालतो वगै0
आदेश

27.5.19

आवेदक धरमु मालतो पिता स्व0 छोटे सुरजा पहाडिया सा0–घोडाघाट थाना– रांगा जिला–साहेबगंज को सुना। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आवेदन दाखिल विपक्षीगण आवेदित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध किया है। आवदेक के द्वारा दायर आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओ के जाँच हेतु अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों का नोटिस निर्गत कर विपक्षीगण से कारण पृच्छा की मांग की गई।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	ज्माबंदी न0	छाग नव	रकवा
संसरी	01	29 से 43	36–06'–00

आज विपक्षीगण उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित। फलस्वरूप विपक्षीगण को एक पक्षीय सुना। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा संसरी के जमाबंदी न0 01 दाग न 29,34,36,41,42 एवं 43 से कुल रकवा 36–06–00 धूर जमीन का खतियानी रैयत सुरमा वल्द धर्मा है एवं विपक्षीगण को उक्त जमीन वंशानुक्रम व उत्तराधिकार सुत्र से प्राप्त हुआ है। जिस पर विपक्षीगण का शांतिपूर्ण दखल भोग स्वमित्व व अधिकार है। जमीन से संबंधित खतियान पर्चा व अन्य वैधानिक कागजात विपक्षीगण के पास मौजुद है तथा वर्षो से जमीन का खाजाना देते आ रहे है एवं लगान रसीद प्राप्त कर रहे है। उन्होने कहा आवेदगण मौजा बुन्डोबेडो के रैयत है न कि मौजा संसरी के। आवेदकगण मौजा संसरी जमाबंदी न0 01 के खतियानी रैयत सुरजा वल्द धर्मा के न तो वारिसान है, और ना ही उनका कोई रिशतेदार है।

अतः विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के द्वारा दाखिल उच्छेदी आवेदन को खारीज करने का अनुरोध किया है।

आवेदकगण के ओर से दिनांक 16.06.2010 को उच्छेदी वाद दाखिल किये है। एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदित भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने आवेदन दाखिल कर कहा है कि मौजा संसरी के जमाबंदी न0 1 दाग न0 29,34,36,41,42 एवं 43 कुल रकवा 36–06–00 कट्ठा जमीन आवेदक के दादा सुरजा पहाडिया के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदकगण उक्त वर्णित जमीन वंशानुक्रम से प्राप्त है एवं वास्तविक उत्तराधिकारी है। आवेदक काम के सिलसिले में बाहर गये थे। आवेदकगण काम से जब वापस अये तो देखा कि विपक्षीगण उक्त वर्णित जमीन को अवैधानिक रूप से एवं जबरदस्ती दखल कर लिए है। विपक्षीगण का उक्त वर्णित जमीन से कोई संबंध नही है। और ना ही खतियानी रैयत के वंशज है।

अतः आवेदकगण के विद्वान अधिवक्त ने उक्त वर्णित जमीन से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किये है।

अंचल अधिकारी, पतना ने पत्रांक 100 रा0 दिनांक 19.03.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी पतना ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि कि मौजा संसारी न0 25 के खाता न0 1 रकवा 36–06–00 धूर गत जमीन सर्वे खतियान में सुरजा वल्द धर्मा , सा0–देह के नाम से दर्ज है। स्थल जाँच एवं पुछताछ से पता चलता है कि खतियानी रैयत के वारिसान धरमी पहाडिन थी जिसकी शादी तालझारी अंचल अन्तर्गत मौजा पकतरी के निवासी गंगवा पहाडिया के साथ हुई थी। स्थल जाँच एवं पूछताछ से यह भी पता चलता है कि विपक्षीगण धरमी पहाडिन का वारिशान है। उक्त भूमि विपक्षीगण के के दखल कब्जे में वर्षो से है एवं हाल सर्वे में भी विपक्षीगण के नाम से खाता खुला हुआ है। विपक्षीगण द्वारा पूर्व में आंशिक रकवा पर खनन कार्य किया गया है। स्थल जाँच एवं पूछताछ से यह भी

Scanned with CamScanner

पता चलता है कि आवेदकगण अंचल पतना अन्तर्गत मौजा बुन्डावेडो के रैयत है। ग्राम प्रधान द्वारा उक्त भूमि का लगान रसीद विपक्षीगण को वर्षो से निर्गत किया गया है।

आवेदक की ओर से अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का कागजात दाखिल नही किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से अपने समर्थन में निम्नलिखित कागजात दाखिल किया गया है।

1. मौजा संसारी के ज0न0 01 का पर्चा की छाया प्रति।
2. मौजा संसारी के जमाबंदी न0 01 का कच्ची पर्चा की छाया प्रति।
3. मौजा संसारी के ज0न0 01 का खातियान की छाया प्रति।
4. मौजा संसारी के ज0न0 01 का लगान रसीद की छाया प्रति।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र एवं विपक्षीगण के द्वारा दायर कागजात तथा अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा विपक्षीगण को उच्छेद करने से संबंधित जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं वे किसी भी निष्कर्ष तक पहूँचने के लिए पर्याप्त नही है। अतएव आवेदकगण के द्वारा दायर उच्छेदी वाद आवेदन को बिना गुण–दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner